न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी कामा जिला भरतपुर
व इजलाश श्री दिनेश शर्मा आर0ए0एस उपखण्ड अधिकारी कामां

मुकदमा नं0 90/17
1--रामवती पत्नि बनयसिंह जाति गूर्जर निवासी ग्राम मुल्लाका तहसील कामां
बादनी

बनाम

1--रामवीर पुत्र शिवलाल कौम गूर्जर निवासी ग्राम मुल्लाका तहसील कामां जिला भरतपुर
2--राघे पुत्र हरनारायण कौम गूर्जर निवासी ग्राम मुल्लाका तहसील कामां
3--राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कामां
असलप्रतिवादीगण

दावा डिकलेरेशन व हुक्म इम्तनाई दवामी अन्तर्गत धारा 53,,188 आर0टी0एक्ट

निर्णय दिनांक: 12.01.2022

वादनी के अधिवक्ता द्वारा दावा अन्तर्गत धारा 53, 188 आर0टी0एक्ट के तहत पेश कर निवेदन किया कि आराजी मुतदाविया खसरा नम्बर 80/0.59 हैक्टयर की आराजी मुतदाविया पर 447/1388, हैक्ट वाके ग्राम मुल्लाका वादनी ने जरिये बयनामा राधे पुत्र हरनाराण व मुन्शी दीवानसिंह हरभजन पि0 जलसिंह से खरीद किया है मौके पर राधे पुत्र हरनारायण व मुन्शी बगैरा ने आराजी मुतानाजा का कब्जा वाहमी बंटवारे में आये पश्चिम की ओर दिया था तभी से वादनी मुताबिक हिस्सा आराजी मुतनाजा पर काश्त करती चली आ रही है । तथा मौके पर कब्जा भी व तरफ पश्चिम की ओर से चला आ रहा है । वादनी का 447/1388 हिस्सा है तथा प्रतिवादी नम्बर एक का 1/2 हिस्सा है तथा प्रतिवादी सं0 2 का 247/1388 हिस्सा है वाहमी बंटवारे में आये हिस्सों को वादनी व प्रतिवादीगण मौके पर काश्त करते चले आ रहे हैं वादनी ने प्रतिवादीगण से आराजी मुतनाजा का राजस्व रिकार्ड में मुताबिक हिस्सा व कब्जा के विभाजन करने के कहा तो आराजी मुतनाजा का राजस्व रिकार्ड में विभाजन करने से साफ इन्कार कर दिया है । विदि वजह वादनी आराजी मुतनाजा का बाहमी बटवारे के मुताबिक हिस्सा राजस्व रिकार्ड में वादनी व प्रतिवादी नं0 1व 2 के मध्य किया जाकर लगान व अलग अलग जमाबन्दी कायम करा पाने का अधिकारी है । आराजी लैण्ड होल्डर राजस्थान सरकार है जिसके प्रतिनिधि तहसीलदार कामां है चूंकि राजस्व रिकार्ड उनकी तहसील में रहता है इसलिए उन्हें पक्षकार मुकदमा बनाया गया है । उनके विरूद्ध कोई दादरसी नहीं चाही गयी है । यह कि आराजी खसरा नम्बर 80/0.59 वाके ग्राम मुल्लाका तहसील कामां का वादनी व प्रतिवादी नं 1 व 2 के मध्य मुताबिक वाहमी बंटवारा के मुताबिक हिस्सा वादनी व प्रतिवादी नं0 एक व दो का राजस्व रिकार्ड में विभाजन किया जाकर अलग अलग राज लगान व जमाबन्दिया कायम की जावे ।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया । प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया । प्रतिवादीगण उपस्थित नहीं आये । दिनांक 4.06.2018 को न्याय आपके लोक अदालत / कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत कनवाडा में प्राथमिक डिकी की गयी । कि राजस्व रिकार्ड के आधार पर हिस्से अनुसार कुर्रे तैयार किया जाने हेतु तहसीलदार को आदेशित किया गया ।

उपखण्ड अधिकारी
कामां (भरतपुर) राज०

वादनी अधिवक्ता द्वारा दावे को साबित करने के लिए जमाबन्दी सं0 2068–2071 पेश किया है।

तहसीलदार कामां के पत्रांक/राजस्व/21/1112 दिनांक 22.3.2021 के द्वारा कुर्रे रिपोर्ट प्राप्त हुई है । जो निम्न प्रकार से है :–

1–रामवती पत्नि बनयसिह जाति गूर्जर सा0 मुल्लाका को खसरा नम्बर 80/1 रकवा 0.20 लगान 0.95

2–रामवीर पुत्र शिवलाल कौम गूर्जर सा0 मुल्लाका रहिन पी0एन0बी0कामां मुर्त0 खसरा नम्बर 80/2/0.29 लगान 1.42

3–चनुआ पुत्र शिवलाल कौम गूर्जर निवासी मुल्लाका 80/3/0.10 लगान 0.47

रामवीर पुत्र शिवलाल व चनुआ पुत्र शिवलाल बाबजूद सूचना के उपस्थित नहीं आया ।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया । तहसीलदार कामां के पत्रांक/राजस्व/21/1112 दिनांक 22.3.2021 से प्राप्त कुर्रे रिर्पोट का अवलोकन किया गया । प्रतिवादीगण बाबजूद सूचना के उपस्थित नही आया । दिनांक 15.4.2021 को कुर्रे रिपोर्ट का वादनी अधिवक्ता को अवलोकन कराया गया । जिस पर वादनी वकील सहमत हुए । अतः तहसीलदार कामां से प्राप्त कुर्रे रिपोर्ट के आधार पर बंटबारा किया जाना उचित प्रतीत होता है ।

आदेश

अतः तहसीलदार कामां को आदेश दिया जाता है कि पत्रांक /राजस्व /21 /1112 दिनांक 22.3.2021 के द्वारा कुर्रे निम्न प्रकार से किये जाते है :–

1–रामवती पत्नि बनयसिह जाति गूर्जर सा0 मुल्लाका को खसरा नम्बर 80/1 रकवा 0.20 लगान 0.95

2–रामवीर पुत्र शिवलाल कौम गूर्जर सा0 मुल्लाका रहिन पी0एन0बी0कामां मुर्त0 खसरा नम्बर 80/2/0.29 लगान 1.42

3–चनुआ पुत्र शिवलाल कौम गूर्जर निवासी मुल्लाका 80/3/0.10 लगान 0.47 के लिए डिक्री तैयार करने हेतु तहसीलदार कामां कुर्रे रिपोर्ट के अनुसार बंटवारा करने के लिए डिक्री तैयार करने हेतु लिखा जावे । प्रकरण नम्बर से कम किया जाकर बाद तकमील तामील दाखिल दफतर हो ।

निर्णय आज दिनांक 12.01.2021 को प्रशासन गांव के संग अभियान ग्राम पंचायत कनवाडा में पढकर सुनाया गया ।

(दिनेश शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
कामां (भरतपुर)

उपखण्ड अधिकारी
कामां (भरतपुर) राज०